

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर  
( पीठासीन अधिकारी श्री परसा राम आर.ए.एस. )

मुकदमा संख्या : 29/2025

प्रार्थी

किसनाराम कडवासरा, खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय वनाम  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, जैसलमेर।

GCMS NO-2025/10

अप्रार्थी

1. श्री हीरालाल राठी पुत्र चम्पालाल राठी उम्र 50 वर्ष निवासी मैन रोड मोहनगढ जिला जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स हीरालाल राठी मैन रोड मोहनगढ जैसलमेर। मो0 9413088968
2. श्री हरप्यारी जेठा उम्र 78 वर्ष निवासी 12 जेठा पाडा जैसलमेर(मालिक/विक्रेता) मैसर्स अनिल एजेन्सी डिव्या पाडा जैसलमेर। मो0 9001467337
3. मैसर्स Shreeram Sales, SNO-40 3 A Kalepadal Mohammadwadi, Hadapsar Pune 411028
4. श्रीमती सविता नितीन सारक उम्र 31 वर्ष निवासी सर्वे नंबर 53/1ए जोगेश्वरी कॉलोनी नंबर 2ए कानिफनाथ फ्लोर मिल मार्ग कालेपडल पुणे शहर पुणे महाराष्ट्र 411028 (मालिक/विक्रेता) मैसर्स Mangalam Foods, S.NO. 146/1 Shinde Wasti Palakhi Road Hindavi Nagar Uruli Devachi Pune Maharashtra412308
5. मैसर्स Mangalam Foods, S.NO. 146/1 Shinde Wasti Palakhi Road Hindavi Nagar Uruli Devachi Pune Maharashtra412308

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 उपस्थित :-


1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।

:: निर्णय ::

दिनांक: 30.07.2025

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (II) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.04.2024 को दोपहर 03.30 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स हीरालाल राठी मैन रोड मोहनगढ जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स हीरालाल राठी मैन रोड मोहनगढ जैसलमेर पर श्री हीरालाल राठी पुत्र चम्पालाल राठी उम्र 50 वर्ष निवासी मैन रोड मोहनगढ जिला जैसलमेर (विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर गाय का घी (गौधन)रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात गाय का घी (गौधन) 04 किलोग्राम के नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 2200/- रुपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा गाय का घी

(गौधन)को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेवल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेवलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-1958 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर रिलिफ एन-1958 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर रिलिफ उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-1958 गाय का घी (गौधन)लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैंने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्पेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को किसनाराम कडवासरा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 15.04.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 09.04.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 921-23दिनांक 27.05.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./506/Act/2024/646 दिनांक 15.05.2024 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक /एफएसएसए /2025/स्वीकृति/एन-1958/2733 दिनांक 21.02.2025 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री हीरालाल राठी पुत्र चम्पालाल राठी उम्र 50 वर्ष निवासी मैन रोड मोहनगढ जिला जैसलमेर (विक्रेता) मैसर्स हीरालाल राठी मैन रोड मोहनगढ जैसलमेर 2. श्री हरप्यारी जेठा उम्र 78 वर्ष निवासी 12 जेठा पाडा जैसलमेर(मालिक/विक्रेता) मैसर्स अनिल एजेन्सी डिब्बा पाडा जैसलमेर 3. मैसर्स Shreeram Sales, SNO-40 3 A Kalepadal Mohammadwadi, Hadapsar Pune 411028 4. श्रीमती सविता नितीन सारक उम्र 31 वर्ष निवासी सर्वे नंबर 53/1ए जोगेश्वरी कॉलोनी नंबर 2ए कानिफनाथ फ्लोर मिल मार्ग कालेपडल पुणे शहर पुणे महाराष्ट्र 411028 (मालिक/विक्रेता) मैसर्स Mangalam Foods, S.NO. 146/1 Shinde Wasti Palakhi Road Hindavi Nagar Uruli Devachi Pune Maharashtra412308 5- Mangalam Foods, S.NO. 146/1 Shinde Wasti Palakhi Road Hindavi Nagar Uruli Devachi Pune Maharashtra412308 के द्वारा सबस्टेण्डर्ड गाय का घी (गौधन) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।



अप्रार्थी सं. 01 एवं 02 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी 03 से 05 तक को न्यायहित में कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी न तो उपस्थित हुए और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी 01 से 05 तक अनुपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गार्थना पत्र एवं संलग्न साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत दरतावेज का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट L.S./506/Act/2024/646 दिनांक 15.05.2024 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने के हेतु मनन किया गया। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य नहीं है कि अप्रार्थी ने कितना व कब से अनुचित लाभ कमाया। चूंकि अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाए गए हैं उसको मध्य-नजर रखते हुए न्यायहित में शास्ति आरोपित की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहो इसकी भी चेतावनी दी जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा कारित दोषपूर्ण कृत्य की गम्भीरता तथा इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में अधिकतम विहित शास्ति अधिरोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 से 05 पर संयुक्त रूप से शास्ति राशी 55000/- पचपन हजार अक्षरे रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगणों द्वारा यदि उक्त निर्णय दिनांक के एक माह पश्चात् यानि निश्चित समयावधि में शास्ति शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत उनके लाईसेन्स को निलम्बित कर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुद न्यायालय में सुनाया गया।

(परसा राम)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर  
दिनांक 30/7/25

क्रमांक:कोर्ट/2025/1185-89

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर
2. श्री हीरालाल राठी पुत्र चम्पालाल राठी उम्र 50 वर्ष निवासी मैन रोड मोहनगढ जिला जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स हीरालाल राठी मैन रोड मोहनगढ जैसलमेर। मो0 8949835507
3. श्री हरप्यारी जेटा उम्र 78 वर्ष निवासी 12 जेटा पाडा जैसलमेर(मालिक/विक्रेता) मैसर्स अनिल एजेन्सी डिब्बा पाडा जैसलमेर। मो0 9001467337 मैसर्स Shreeram Sales, SNO-40 3 A Kalepadal Mohammadwadi, Hadapsar Pune 411028
4. श्रीमती सविता नितीन सारक उम्र 31 वर्ष निवासी सर्वे नंबर 53/1ए जोगेश्वरी कॉलोनी नंबर 2ए कानिफनाथ फ्लोर मिल मार्ग कालेपडल पुणे शहर पुणे महाराष्ट्र 411028 (मालिक/विक्रेता) मैसर्स Mangalam Foods, S.NO. 146/1 Shinde Wasti Palakhi Road Hindavi Nagar Uruli Devachi Pune Maharashtra412308
- 5-मैसर्स Mangalam Foods, S.NO. 146/1 Shinde Wasti Palakhi Road Hindavi Nagar Uruli Devachi Pune Maharashtra412308

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर